संख्या-24/2017/एस-3-855/दस-2017-100(43)/1989

प्रेषक,

कृष्ण दयाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर , 2017

विषय:- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के नव नियुक्त संकाय अधिकारी को प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अधि0/21/88/547, दिनांक 19-7-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-24/8/76-का-प्रसको/2014, दिनांक 20-11-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में तैनात श्री सन्दीप कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक को संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 9-12-2016 से उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता इस शर्त के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । कि उक्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होने के दिनांक से उपरोक्त अधिकारी को पहले से अनुमन्य विशेष वेतन, संकाय भत्ता, प्रतिनियुक्ति वेतन तथा अन्य भत्ते आादि देय नही होगे । यदि पूर्व में इस प्रकार का कोई भुगतान किया गया हो तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा ।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के "लेखा शीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के मानक मद -06-अन्य भत्ते" के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार लेखा (आडिट-1) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ उ0प्र0 सचिवालय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- संबंधित अधिकारी।

8- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।